

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

क्रमांक प. 7(3)वित्त/कर/2025

जयपुर, दिनांक 01.06.2026

आदेश

राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा नियम, 1971 (समय-समय पर संशोधित) के नियम 24 के अधीन सहायक आयुक्त के पद की वर्ष 2024-25 हेतु आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा आस्थगित प्रकरणों (DEFERRED CASES) की बैठक दिनांक 08.05.2026 में की गई अभिशंषा पर निम्नांकित सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी को वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर, वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

क्र.सं	नाम	वर्ग	विशेष विवरण
1	श्री सुरेन्द्र कुमार सेठिया	-	इनकी पदोन्नति पर रिवित्त दिनांक 01.04.2024 होगी तथा वरीयता क्रम में इनका नाम श्री पुखराज टेलर के नीचे व श्रीमती कान्ता गुर्जर के ऊपर रहेगा।

उपरोक्तानुसार पदोन्नत अधिकारी अपने वर्तमान पदों पर, इन पदों को अस्थाई रूप से यथा आवश्यक क्रमोन्नत मानते हुए, कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेंगे एवं यथा आवश्यकता अपने वर्तमान पद का कार्यभार सम्पादित करेंगे, जिसके लिए उन्हें अतिरिक्त कार्य भत्ता आदि देय नहीं होगा। इन पदों के विधिक कार्य सम्पादन के संबंध में आवश्यकतानुसार आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान उपयुक्त आदेश जारी करेंगे।

यह पदोन्नति माननीय उच्च न्यायालय की डी.बी.रिट पिटिशन संख्या 14176/2012 समता आन्दोलन समिति बनाम राजस्थान राज्य के अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(नथमल डिलेल)

विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (कर)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (वित्त) महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
5. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. सिस्टम एनालिस्ट, संयुक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली



विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (कर)